

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता

राजाज्ञा संख्या : 430/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 15 जुलाई, 2015 एवं
1044(1)/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित
अकृशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के आधार पर 253
अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर माह जनवरी 2018 से जून 2018 के औसत मूल्य
सूचकांक 311 पर ₹ 0.20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के
लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(311-253) \times 20 = 1160.00$$

per
१८
(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

संख्या : ३३६२ /४-१/२०१२

दिनांक : २६-९-२०१९

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेशित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर,
प्रतिपालन कराएं तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार
- 4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

per
१८
(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।